Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)
****

No.2004/TG.I/20/P

New Delhi, dated: 29 -07-2004

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No. 24of 2004)

Sub: Maintenance of Special Cancellation Register in Reservation Offices over Indian Railways.

Please refer to Board's letter No. 95/TG-I/20/P dated 15.11.1995 on the subject quoted above. (Copy enclosed). During a preventive check conducted by the Vigilance Directorate of Board's Office it was found that the number of fresh tickets issued after canceling the original journey tickets is not mentioned in the requisite register. In absence of this information, it was impossible to ascertain the validity of the reasons quoted for specially cancelling the tickets.

Ministry of Railways desire that the instructions contained in Board's letter dated 15.11.1995 referred to above may be reiterated to all concerned for strict compliance.

Please acknowledge receipt.

(O.P. Chawala)
Joint Director, Traffic Commercial(G)
Railway Board.

DA: As above.

Copy to : JDV(T), Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2004/टी जी I/20/पी

नई दिल्ली, दिनांक : 29-07-2004

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2004 का वाणिज्य परिपत्र सं. 24)

विषय : भारतीय रेलों पर आरक्षण कार्यालयों में विशेष रद्दकरण रजिस्टर का अनुरक्षण

उपर्युक्त विषय पर कृपया बोर्ड का 15.11.95 का पत्र सं. 95/टीजी-I/20/पी देखें (प्रतिलिपि संलग्न). बोर्ड कार्यालय के सतर्कता निदेशालय द्वारा आयोजित निवारक जांच के दौरान, यह पाया गया कि मूल यात्रा टिकट रद्द करने के उपरांत जारी की गई नई टिकटों की संख्या अपेक्षित रजिस्टर में उल्लिखित नहीं की जाती। यह सूचना उपलब्ध न होने के कारण, टिकटों को विशेष रूप से रद्द करने के उदधृत कारणों की वैधता का पता लगाना असंभव था।

रेल मंत्रालय ने यह इच्छा प्रकट की है कि बोर्ड के 15.11.95 के उपर्युक्त पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश सभी संबंधित को कड़ाई से अनुपालन करने के लिए दोहराए जाएं।

कृपया इस पत्र की पावती दें.

(ओ.पी.चावला)
संयुक्त निदेशक, यातायात वाणिज्य(सा.)
रेलवे बोर्ड

संलग्नक : यथोक्त

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

NO.95/TG-I/20/P

New Delhi, dated 15.11.95

General Managers (Commercial)
All Zonal Railways.

Sub: Maintenance of Special Cancellation Register in Reservation Offices over Indian Railways.

It has come to the notice of the Board that in the computerised reservation offices of Zonal Railways Special Cancellation Register is not maintained properly. The staff is also not clear about the details to be maintained. Consequently, the possibility of committing frauds cannot be ruled out.

2. In order to streamline the procedure, a proforma has been designed and is enclosed with this letter for circulating the same to all reservation offices to enable them to maintain record in proper manner by the concerned staff. Necessary instructions may please be issued to all concerned. Checks should be conducted to ensure that the special cancellation register is maintained properly in the prescribed proforma.

Please acknowledge receipt.

(P.S.Nerwal)
Director, Traffic Comml.(G),
Railway Board

Copy to:- JDV(SS), V(SS) (with 10 spares)
2. O&M Branch (with 10 spares)
3. Secretary, IRCA, Chelmsford Road, New Delhi.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 95/टी जी 1/20/पी नयी दिल्ली, दि0 15.11.95

महाप्रबंधक (वाणिज्य)
सभी क्षेत्रीय रेलें.

विषय :- भारतीय रेलों पर आरक्षण कार्यालयों में विशेष रद्दकरण रजिस्टर का अनुरक्षण.

. . . . . .

बोर्ड के नोटिस में यह आया है कि क्षेत्रीय रेलों के कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालयों में विशेष रद्दकरण रजिस्टर उचित प्रकार से नहीं रखे जाते हैं । कर्मचारीगण भी रखे जाने वाले ब्योरों के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं । परिणामतः कपट किए जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है ।

2. प्रक्रिया को सुग्राही बनाने के लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया गया है जिसे सभी आरक्षण कार्यालयों में परिचालित करने हेतु इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है ताकि संबंधित कर्मचारियों द्वारा वे उचित तरीके से रिकार्ड रख सकें । यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाये कि विशेष रद्दकरण रजिस्टर को निर्धारित प्रोफार्मा में उचित प्रकार से रखा जाता है ।

कृपया पावती दें ।

(पी. एस. निवालि)
निदेशक, यातायात वाणिज्य (सा.)
रेलवे बोर्ड ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक सतर्कता (विशेष दस्ता), सतर्कता (विशेष दस्ता) को (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. ओ एंड एम शाखा को (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. सचिव, भारतीय रेल सम्मेलन, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली ।

PROFORMA FOR SPECIAL CANCELLATION

1 S.No.	2 Date	3 Class	4 Train No.	5 From	6 To	7 PNR No.	8 Counter No.	9 Time	10 Place of issue of Ticket	11 Reason for cancell-ation	12 New PNR	13 Sign-ature of Ope-rator	14 Sign-ature of Sup-ervisor	15 Remarks

विशेष रद्दकरण के लिए प्रोफार्मा

ख	3 वर्ग	4 गाड़ी नं.	5 से	6 तक	7 पीएनआर नं.	8 काउंटर नं.	9 समय	10 टिकट जारी करने का स्थान	11 रद्दकरण के लिए कारण	12 नया पी.एन.आर	13 आपरेटर का हस्ताक्षर	14 सुपरवाइजर के हस्ताक्षर	15 टिप्पणी

-8-